



रक्षा मंत्रालय




Azadi Ka
Amrit Mahotsav



एक परिवर्तनकारी सुधार के तहत कैबिनेट ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए 'अग्निपथ' योजना को मंजूरी दी

संबंधित सेवा अधिनियमों के तहत चार साल के लिए अग्निवीर नामांकित किए जाएंगे

तीन सेनाओं में लागू जोखिम और कठिनाई भत्ते के साथ आकर्षक मासिक पैकेज

चार साल की कार्यावधि पूरी होने पर अग्निवीरों को एकमुश्त 'सेवा निधि' पैकेज का भुगतान किया जाएगा

इस साल 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी

भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सशस्त्र बलों के पास एक युवा, फिटर, विविध प्रोफाइल होगा

Posted On: 14 JUN 2022 1:12PM by PIB Delhi

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारतीय युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में सेवा के लिए एक आकर्षक भर्ती योजना को मंजूरी दी। इस योजना को 'अग्निपथ' कहा जाता है और इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निपथ देशभक्त और प्रेरित युवाओं को चार साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने की अनुमति देता है।

अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों के युवा प्रोफाइल को सक्षम करने के लिए डिजाइन की गई है। यह उन युवाओं को अवसर प्रदान करेगा जो समाज से युवा प्रतिभाओं को आकर्षित करके वर्दी धारण करने के प्रति इच्छुक हो सकते हैं जो समकालीन तकनीकी प्रवृत्तियों के अनुरूप हैं और समाज में कुशल, अनुशासित और प्रेरित जनशक्ति की पूर्ति करते हैं। जैसा कि सशस्त्र बलों के लिए, यह सशस्त्र बलों के युवा प्रोफाइल को बढ़ाएगा और 'जोश' और 'जज्बा' का एक नया संसाधन प्रदान करेगा, साथ ही साथ एक अधिक तकनीकी जानकार सशस्त्र बलों की दिशा में एक परिवर्तनकारी बदलाव लाएगा - जो वास्तव में समय की आवश्यकता है। यह




परिकल्पना की गई है कि इस योजना के कार्यान्वयन से भारतीय सशस्त्र बलों की औसत आयु लगभग 4-5 वर्ष कम हो जाएगी। आत्म-अनुशासन, परिश्रम और ध्यान की गहरी समझ के साथ अत्यधिक प्रेरित युवाओं संचार से राष्ट्रीय को अत्यधिक लाभ होता है जो पर्याप्त रूप से कुशल होंगे और अन्य क्षेत्रों में योगदान करने में सक्षम होंगे। राष्ट्र, समाज और राष्ट्र के युवाओं के लिए एक अल्पकालिक सैन्य सेवा के लाभांश बहुत अधिक हैं। इसमें देशभक्ति की भावना, टीम वर्क, शारीरिक फिटनेस में वृद्धि, देश के प्रति निष्ठा और बाहरी खतरों, आंतरिक खतरों और प्राकृतिक आपदाओं के समय राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता शामिल है।

यह तीनों सेनाओं की मानव संसाधन नीति में एक नए युग की शुरुआत करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख रक्षा नीति सुधार है। नीति, जो तत्काल प्रभाव से लागू होती है, इसके बाद तीनों सेनाओं के लिए नामांकन को नियंत्रित करेगी।

अग्निवीरों को लाभ

अग्निवीरों को तीन सेनाओं में लागू जोखिम और कठिनाई भत्ते के साथ एक आकर्षक अनुकूलित मासिक पैकेज दिया जाएगा। चार साल की कार्यावधि के पूरा होने पर, अग्निवीरों को एकमुश्त 'सेवा निधि' पैकेज का भुगतान किया जाएगा, जिसमें उनका योगदान शामिल होगा जिसमें उस पर अर्जित ब्याज और सरकार से उनके योगदान की संचित राशि के बराबर योगदान शामिल होगा, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

वर्ष	अनुकूलित पैकेज (मासिक)	हाथ में (70%)	अग्निवीर कॉर्पस फंड में योगदान (30%)	भारत सरकार द्वारा कॉर्पस फंड में योगदान
सभी आंकड़े रुपये में (मासिक अंशदान)				
प्रथम वर्ष	30000	21000	9000	9000
दूसरा वर्ष	33000	23100	9900	9900
तीसरा वर्ष	36500	25580	10950	10950
चौथा वर्ष	40000	28000	12000	12000
अग्निवीर कॉर्पस फंड में चार साल बाद कुल योगदान			5.02 लाख रुपये	5.02 लाख रुपये

  	<p>4 साल बाद बाहर निकलने पर 11.71 लाख रुपये सेवा निधि पैकेज के रूप में (उपरोक्त राशि पर लागू ब्याज दरों के अनुसार संचित ब्याज सहित) का भी भुगतान किया जाएगा।</p>

‘सेवा निधि’ को आयकर से छूट दी जाएगी। ग्रेज्युटी और पेंशन संबंधी लाभों का कोई अधिकार नहीं होगा। अग्निवीरों को भारतीय सशस्त्र बलों में उनकी कार्यावधि के लिए 48 लाख रुपये का गैर-अंशदायी जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।

अग्निवीरों की सेवा की इस अवधि के दौरान, अग्निवीरों को विभिन्न सैन्य कौशल और अनुभव, अनुशासन, शारीरिक फिटनेस, नेतृत्व गुण, साहस और देशभक्ति प्रदान की जाएगी। चार साल के इस कार्यकाल के बाद, अग्निवीरों को नागरिक समाज में शामिल किया जाएगा जहां वे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अत्यधिक योगदान दे सकते हैं। प्रत्येक अग्निवीर द्वारा प्राप्त कौशल को उनके अद्वितीय बायोडाटा का हिस्सा बनने के लिए एक प्रमाणपत्र में मान्यता दी जाएगी। अग्निवीर, अपनी युवावस्था में चार साल का कार्यकाल पूरा होने पर, पेशेवर और व्यक्तिगत रूप से भी खुद को बेहतर बनाने के अहसास के साथ परिपक्व और आत्म-अनुशासित होंगे। अग्निवीर के कार्यकाल के बाद नागरिक दुनिया में उनकी प्रगति के लिए जो रास्ते और अवसर खुलेंगे, वे निश्चित रूप से राष्ट्र निर्माण की दिशा में काफी लाभदायक होंगे। इसके अलावा, लगभग 11.71 लाख रुपये की सेवा निधि अग्निवीर को वित्तीय दबाव के बिना अपने भविष्य के सपनों को आगे बढ़ाने में मदद करेगी, जो आमतौर पर समाज के आर्थिक रूप से वंचित तबके के युवाओं के लिए होता है।

सशस्त्र बलों में नियमित संवर्ग के रूप में नामांकन के लिए चुने गए व्यक्तियों को न्यूनतम 15 वर्षों की अतिरिक्त सेवा अवधि के लिए सेवा करने की आवश्यकता होगी और भारतीय सेना में जूनियर कमीशंड अधिकारियों/अन्य रैंकों और भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना में उनके समकक्ष और समय-समय पर संशोधित भारतीय वायु सेना में नामांकित गैर-लड़ाकू सेवा के मौजूदा नियमों और शर्तों द्वारा शासित होंगे।

यह योजना सशस्त्र बलों में युवा और अनुभवी कर्मियों के बीच एक अच्छा संतुलन सुनिश्चित करके और अधिक युवा और तकनीकी रूप से युद्ध लड़ने वाले बल को बढ़ावा देगी।

लाभ

- सशस्त्र बलों की भर्ती नीति में परिवर्तनकारी सुधार।
- युवाओं को देश की सेवा करने और राष्ट्र निर्माण में योगदान करने का अनूठा अवसर।
- सशस्त्र बलों का प्रोफाइल युवा और ऊर्जावान।
- अग्निवीरों के लिए आकर्षक वित्तीय पैकेज।
- अग्निवीरों के लिए सर्वोत्तम संस्थानों में प्रशिक्षण लेने और उनके कौशल और योग्यता को बढ़ाने का अवसर।
- सभ्य समाज में सैन्य लोकाचार के साथ अनुशासित और कुशल युवाओं की उपलब्धता।
- समाज में लौटने वालों के लिए पर्याप्त पुनः रोजगार के अवसर और जो युवाओं के लिए रोल मॉडल के रूप में उभर सकते हैं।

नियम एवं शर्तें

अग्निपथ योजना के तहत, अग्निवीरों को चार साल की अवधि के लिए संबंधित सेवा अधिनियमों के तहत बलों

में नामांकित किया जाएगा। वे सशस्त्र बलों में एक अलग रैंक बनाएंगे, जो किसी भी मौजूदा रैंक से अलग होगी। सशस्त्र बलों द्वारा समय-समय पर घोषित की गई संगठनात्मक आवश्यकता और नीतियों के आधार पर चार साल की सेवा पूरी होने पर, अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में स्थायी नामांकन के लिए आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इन आवेदनों पर उनकी चार साल की कार्यावधि के दौरान प्रदर्शन सहित प्रमुख मानदंडों के आधार पर केंद्रीकृत तरीके से विचार किया जाएगा और प्रत्येक विशिष्ट बैच के 25 प्रतिशत तक सशस्त्र बलों के नियमित कैडर में नामांकित किया जाएगा। विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। चयन सशस्त्र बलों का अनन्य क्षेत्राधिकार होगा। इस साल 46,000 अग्निशामकों की भर्ती की जाएगी।

भी तीन सेनाओं के लिए एक ऑनलाइन केंद्रीकृत प्रणाली के माध्यम से नामांकन किया जाएगा, जिसमें विशेष रैलियों और मान्यताप्राप्त तकनीकी संस्थानों जैसे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और राष्ट्रीय कौशल योग्यता संरचना से कैम्पस साक्षात्कार शामिल हैं। नामांकन 'ऑल इंडिया ऑल क्लास' के आधार पर होगा जो पात्र आयु 17.5 से 21 वर्ष के बीच होगी। अग्निवीर सशस्त्र बलों में नामांकन के लिए निर्धारित चिकित्सा पात्रता शर्तों को पूरा करेंगे जैसा कि संबंधित श्रेणियों/कार्यों पर लागू होता है। विभिन्न श्रेणियों में नामांकन के लिए अग्निवीरों की शैक्षिक योग्यता यथावत रहेगी। {उदाहरण के लिए: जनरल ड्यूटी (जीडी) सैनिक में प्रवेश के लिए, शैक्षणिक योग्यता कक्षा 10 है}।

डीएस/एमजी/एमए/एसकेएस/एसएस

(Release ID: 1833891) Visitor Counter : 159

Read this release in: English , Urdu , Marathi , Manipuri , Assamese , Gujarati , Odia , Tamil , Malayalam